

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग
(COVID-19 CELL)

-: आदेश :-

COVID-19
Most Urgent

COVID-19 महामारी के आम जनता में प्रसार को रोकने हेतु कड़े सामाजिक अलगाव एवं यात्राओं से संबंधित प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आदेश संख्या 98/HSN दिनांक 22.03.2020 द्वारा दिनांक 22.03.2020 के मध्य रात्रि 12.00 बजे से 31.03.2020 के मध्य रात्रि तक एवं पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उद्घोषणा एवं गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत Advisory संख्या 40-3-2020 दिनांक 24.03.2020 के द्वारा दिनांक 14.04.2020 तक आकस्मिक/ आवश्यक सेवाओं एवं आदेश में वर्णित अन्य कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर पूरे देश में पूर्णतया (Lock down) घोषित किया गया है।

उक्त Lockdown में आवश्यक सामग्रियों की निर्वाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए हजारीबाग जिला में अन्य जिलों/ राज्यों से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है।

हजारीबाग जिला में आवश्यक सामग्रियों से संबंधित वाहनों की आवाजाही हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत उक्त वाहनों की जाँच कर अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

BP

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-
जिला स्तरीय समन्वय समिति,
हजारीबाग।

ज्ञापांक1007...../Covid हजारीबाग, दिनांक 25/3/2020

- प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/ बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर/ बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

BP
MB

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-
जिला स्तरीय समन्वय समिति,
हजारीबाग।